भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1978

दिनांक 05 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

पशुधन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विनियमन के लिए कानूनी ढांचा

1978. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार करते हुए कि वर्तमान विधिक एवं नीतिगत ढांचा मुख्यतः खाद्य सुरक्षा तथा योजना-आधारित अंतःक्षेपों तक सीमित है और पशुधन विकास, जैव-सुरक्षा, प्रजनन, ट्रेसबिलिटी, पशु कल्याण तथा निवेश संवर्धन के लिए एकीकृत तंत्र उपलब्ध नहीं है, एक व्यापक राष्ट्रीय पशुधन विकास अधिनियम की आवश्यकता का परीक्षण किया है;

(ख) क्या किसी अध्ययन अथवा समिति के माध्यम से कोरिया गणराज्य के पशुधन संबंधी कानून सहित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परिपाटियों का परीक्षण किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों तथा हितधारकों से परामर्श कर राष्ट्रीय पशुधन विकास नीति तैयार करने अथवा इस संबंध में कानून बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, व्यापक राष्ट्रीय पशुधन विकास अधिनियम लागू करने पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) विभाग, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ तकनीकी सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक मंचों पर भागीदारी और वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से पशुधन विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का समय-समय पर परीक्षण करता है और उन्हें अपनाता है। हालांकि, कोरिया गणराज्य के पशुधन संबंधी कानूनों के परीक्षण के लिए कोई विशेष अध्ययन या समिति गठित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) पशुपालन और डेयरी विभाग ने पहले ही राष्ट्रीय पशुधन नीति, 2013 तैयार कर ली है, जो पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के लिए नीतिगत रूपरेखा उपलब्ध कराती है। इस नीति का उद्देश्य पशुपालकों की आजीविका में सुधार करते हुए पशुधन की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है। यह नीति अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान फोकस करती है, जैसे देशी पशुधन और पोल्ट्री नस्लों का संरक्षण और आनुवंशिक सुधार, पशु प्रजनन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, पशु आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, पशु स्वास्थ्य और जैव-सुरक्षा में सुधार करना, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना और सतत व लाभदायक पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देना।